



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 579 राँची, गुरुवार 15 श्रावण, 1937 (श०)
6 अगस्त, 2015 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

5 अगस्त, 2015

विषय: घाघरा स्थित राँची नगर निगम के भूखण्ड को M/S Apollo Hospital Enterprises Ltd. Chennai को Super Specialty Hospital निर्माण हेतु लीज पर दिये गये भूमि का लीज रेन्ट निर्धारण के संबंध में ।

संख्या-2/न०वि०/भू०अधि०-01/2012- 2742, नगर विकास विभाग के संकल्प संख्या-710 दिनांक-19 फरवरी, 2014 के द्वारा झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम-2011 की धारा-130 के तहत राँची नगर निगम के क्षेत्रान्तर्गत घाघरा स्थित 2.80 एकड़ भूखण्ड को लोक-निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) के आधार पर Super Specialty Hospital निर्माण हेतु 30 वर्षों के लिए लीज पर दिये जाने का निर्णय लिया गया था ।

2. संकल्प में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है कि- राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या-4306/रा0, दिनांक-24 अक्टूबर, 2014 के कंडिका-4(a) में वर्णित गैर मजरूआ भूमि की स्थायी बन्दोबस्ती/लीज बन्दोबस्ती के संबंध में विहित प्रावधान से आच्छादित होगी ।
3. विभागीय संकल्प के आलोक में राँची नगर निगम के कार्यालय आदेश ज्ञापांक-3429 दिनांक-10 सितम्बर, 2014 के द्वारा सन्दर्भित भूमि 30 वर्षों के लीज पर M/S Apollo Hospital Enterprises Ltd. Chennai को आवंटित की गयी है। उक्त आवंटन में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या-4306/रा0, दिनांक-24, अक्टूबर, 2014 के कंडिका-4(a) में वर्णित प्रावधान के अनुसार Lease Rent प्रतिवर्ष निर्धारित किये जाने का प्रावधान है ।
4. उक्त के क्रय में M/S Apollo Hospital Enterprises Ltd. Chennai द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि राँची नगर निगम को अस्पताल की कुल आय का मात्र 0.50% भुगतान किया जाना है । बी.पी.एल. (BPL) मरीजों के लिए ओ.पी.डी. (OPD) में 10% एवं आई.पी.डी. (IPD) में 7.5% मुफ्त सेवा दी जानी है। इसके अतिरिक्त, विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करायी जानी है। अतएव उक्त सेवा के आलोक में लीज पर उपलब्ध कराये गये भूमि का लीज रेंट 01/- रु. वार्षिक किये जाने पर विचार किया जाए ।
5. उल्लेखनीय है कि घाघरा स्थित निगम भूमि पर लोक-निजी भागीदारी के आधार पर Super Specialty Hospital निर्माण हेतु निर्गत आर.एफ.पी. में (RFP) Nominal Lease पर दिए जाने का उल्लेख है। साथ ही, लीज हेतु अलग से लीज रेंट का कोई भी प्रस्ताव RFP में नहीं दिया गया था ।
6. यह भी उल्लेखनीय है कि सन्दर्भित अस्पताल के निर्माण से राज्य के नागरिकों को विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त हो पाएगी। साथ ही, राँची नगर निगम को एक मुश्त आय एवं राज्य के बी.पी.एल. (BPL) नागरिकों को उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएँ प्राप्त हो सकेंगी।

7. उपर्युक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में सम्यक् विचारोपरान्त सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया कि M/S Apollo Hospital Enterprises Ltd. Chennai को Super Specialty Hospital निर्माण हेतु लीज पर दी जाने वाली उपर्युक्त प्रासंगिक भूमि का लीज रेन्ट Nominal Lease Rent 01/- रु. वार्षिक होगा।
8. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त है।

झारखण्ड के राज्यपाल के आदेश से,
अरुण कुमार सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव।
